

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2026-हिं.अ.

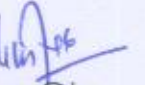
दिनांक: 13.07.2026

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 24.06.2026 को आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 24.06.2026 को सायं 04.00 बजे, संस्थान के उप-सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि वे इस कार्यवृत्त की विभिन्न मदों पर लिए गए निर्णयों पर अनुपालनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी देने की कृपा करें।

यह कार्यवृत्त संस्थान के माननीय निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


(पदम सिंह)

वित्त सलाहकार एवं
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी

वितरण:-

- सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र।
- तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों के वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारीगण।
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा)।
- सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग।
- प्रशासन अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ।

प्रतिलिपि:-

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के प्रधान निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- वित्त सलाहकार/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कर्तव्य भवन, नई दिल्ली।
- संयुक्त निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
- प्रभारी आचार्य(कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 24.06.2026 को माननीय उप-सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अप्रैल-जून, 2026 अवधि की एक बैठक दिनांक 24.06.2026 को सायं 04.00 बजे, श्री निशांत कुमार, उप-सचिव महोदय की अध्यक्षता में डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान के निम्नलिखित अधिकारीगण ने भाग लिया:

1. श्री पदम सिंह, वित्त सलाहकार एवं वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.), एम्स, नई दिल्ली।
2. श्री मोहन लाल, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, इंजीनियरी सेवा विभाग, एम्स, नई दिल्ली।
3. श्री रविन्द्र कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग(नि.का.), एम्स, नई दिल्ली।
4. श्री जगदीर सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, आउटसोर्स प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली।
5. श्री राज कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली।
6. श्रीमती दीपा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, संपदा अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली।
7. श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ /ए.सी.आर. प्रकोष्ठ एवं आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, एम्स, नई दिल्ली।
8. श्री राजेन्द्र कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ, नई दिल्ली।
9. श्रीमती ज्योति, सहायक लेखा अधिकारी, जी.पी.एफ. अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली।
10. श्री निखिल कुमार, लेखा अधिकारी, प्रो-ऑडिट एवं ऑडिट अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली।
11. श्री बिजेन्द्र सिंह, उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली।
12. डॉ. उमेश कुमार, सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय, एम्स, नई दिल्ली।
13. श्री राहुल यादव, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक, अनुसंधान अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली।
14. श्री रिकेश कुमार, प्रोग्रामर, कंप्यूटर सुविधा, एम्स, नई दिल्ली।
15. श्री राजकुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली।
16. श्रीमती ज्योति अरोड़ा, प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग (अस्पताल), एम्स, नई दिल्ली।
17. श्रीमती रेणु बाला, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केंद्र, एम्स, नई दिल्ली।
18. श्री ज्ञानचंद, प्रशासनिक अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र, एम्स, नई दिल्ली।
19. श्री विजय कुमार, हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली।
20. श्री प्रमोद कुमार, हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली।

माननीय निदेशक महोदय अपने पूर्व-नियोजित कार्यक्रम के कारण और माननीया वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय अवकाश पर होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

श्री प्रमोद कुमार, हिंदी अधिकारी ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए माननीय उप-सचिव महोदय तथा वित्त सलाहकार एवं वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.) महोदय और बैठक में उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण का स्वागत किया और तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय से औपचारिक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

सर्वप्रथम, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 30.03.2026 को आयोजित हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त की यथावत पुष्टि की गई।

1. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम संबंधी:- हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को सूचित किया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम दिनांक 23.04.2026 को माननीया वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया की ओर से संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों में सूचना एवं उचित कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया है। हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को यह भी अवगत कराया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली "क" क्षेत्र में आता है तथा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे भारत को 3 भागों में निम्नानुसार बांटा गया है:-

- "क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।

इस संदर्भ में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी संबंधित विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा भरपूर प्रयास किए जाएं:-

क्र.सं.	कार्य विवरण	निर्धारित लक्ष्य	अनुपालन का दायित्व
1	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)		संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभाग/केंद्र एवं सभी विभाग आदि।
i.	"क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को	100%	
ii.	"क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को	100%	
iii.	"क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को	70%	
iv.	"क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	100%	
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	
3	हिंदी में टिप्पण	80%	
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	सीमेट, शैक्षिक अनुभाग
5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	भर्ती प्रकोष्ठ/परीक्षा अनुभाग
6	हिंदी में डिक्टेशन/की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	70%	संस्थान के सभी संबद्ध अधिकारीगण/संकाय-सदस्यगण
7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	हिंदी अनुभाग/सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	शैक्षिक अनुभाग/सीमेट

9	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर, पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, ई-हिंदी समाचार पत्र, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों आदि की खरीद पर किया गया व्यय	50%	बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय/सभी केंद्र
10	हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल हैं, की खरीद।	100%	भंडार अनुभाग(नि.का.)/कंप्यूटर सुविधा/सभी विभाग/केंद्र
11	वेबसाइट द्विभाषी हो।	100%	कंप्यूटर सुविधा/सभी केंद्र
12	नागरिक चार्टर तथा जन-सूचना बोर्ड आदि का द्विभाषी रूप में प्रदर्शन।	100%	इंजीनियरी सेवा विभाग/सभी केंद्र
13	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण(कार्यालयों का प्रतिशत) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम) 30% (न्यूनतम)	हिंदी अनुभाग
14	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राजभाषा संबंधी बैठकें	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	हिंदी अनुभाग
15	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	सभी विभाग/ अनुभाग/ केंद्र
16	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सम्पूर्ण कार्य हिंदी में हो	45%	सभी विनिर्दिष्ट अनुभाग/ केंद्र

माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान करते हुए आदेश दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं।

कार्रवाई - अनुपालनकर्ता उपर्युक्त सभी विनिर्दिष्ट विभाग/अनुभाग/केंद्र/हिंदी अनुभाग

2. **संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी:-** इस विषय में हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से नामित किया जाता है और वर्तमान में संस्थान के 05 कर्मचारीगण हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को यह भी सूचित किया कि हिंदी अनुभाग द्वारा भारत सरकार, राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के तहत अगस्त, 2026 से प्रारम्भ होने वाले

हिंदी टंकण प्रशिक्षण सत्र में भी संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों का नियमानुसार नामांकन करने सुनिश्चित के लिए संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों से नामांकन मंगवाने के लिए दिनांक 05.06.2026 को माननीय वित्त सलाहकार एवं वरिष्ठ हिंदी अधिकारी की ओर से एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया गया है और इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी टंकण प्रशिक्षण के अगस्त, 2026 से प्रारम्भ होने वाले हिंदी टंकण प्रशिक्षण सत्र में भी संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग एवं सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र

3. **संस्थान में हिंदी पदों का सृजन संबंधी:-** हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भर्ती प्रकोष्ठ/परीक्षा अनुभाग द्वारा संस्थान में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिं.) के रिक्त 03 नियमित पदों को भरने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय समिति को अवगत कराया कि इस संबंध में भर्ती अनुभाग द्वारा सूचित किया गया है कि कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिं.) के 02 रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए सी.आर.ई.-4 भर्ती में प्रकाशित किया गया था जिसके लिए चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है और अंतिम परिणाम को अभी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए भेजा गया है जिसके उपरान्त चयनित/योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। अन्य 01 रिक्त पद को वर्तमान भर्ती विज्ञापन (सी.आर.ई. - 5) में प्रकाशित किया जा चुका है।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भर्ती प्रकोष्ठ और परीक्षा अनुभाग द्वारा संस्थान में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (हिं.) के रिक्त 03 नियमित पदों को भरने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई अतिशीघ्र पूर्ण की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ/परीक्षा अनुभाग

4. **संस्थान में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन:-** हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय समिति को सूचित किया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों/केंद्रों में तैनात 56 सहायक प्रशासनिक अधिकारियों में से 30 सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दिनांक 23 जून, 2026 को एक दिवसीय विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें उन्हें अपना सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में करने एवं इससे संबंधित अन्य विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को यह भी सूचित किया कि अगली एक दिवसीय विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन जुलाई-अगस्त माह के दौरान किया जाएगा जिसमें सहायक प्रशासनिक अधिकारी कैडर में शेष बचे हुए

सहायक प्रशासनिक अधिकारियों तथा 23 जून को आयोजित हुई हिंदी कार्यशाला में विभिन्न कारणों से भाग न ले पाने वाले सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को पुनः नामित किया जाएगा।

इस विषय पर विस्तृत चर्चा के उपरांत माननीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिंदी अनुभाग द्वारा संस्थान में प्रशासनिक/वित्त/भंडार एवं अन्य कैडरों के स्टाफ हेतु भी नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

5. संस्थान की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा संबंधी:- इस विषय के संदर्भ में हिंदी अधिकारी ने माननीय समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को 100%, "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 100%, "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 70% और "क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्तियों को हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य 100% निर्धारित किया गया है, लेकिन दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को संस्थान का हिंदी पत्राचार 85.01% और "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 67.62% तथा "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 60.27% ही है।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा के उपरांत माननीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मूल पत्राचार संबंधी निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र एवं "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को संस्थान द्वारा किए जाने वाले हिंदी पत्राचार में अपेक्षित बढ़ोतरी करने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केंद्रों द्वारा गंभीरता से प्रयास किए जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग/तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभाग/केंद्र

6. 'साहस' पोर्टल पर संस्थान के कर्मचारीगण के अर्जित/चिकित्सा अवकाश आदि संबंधी विवरण/सूचना/टेम्पलेट के द्विभाषी रूप में होने संबंधी:- उपर्युक्त विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान माननीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस विषय में तकनीकी पहलू होने के कारण कंप्यूटर सुविधा द्वारा इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई एन.आई.सी./सी.डैक आदि के सहयोग से की जानी अपेक्षित है जिसके लिए कंप्यूटर सुविधा को आवश्यक कार्रवाई निष्पादित करने के लिए उचित माध्यम द्वारा एक नोट भेजा जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - कंप्यूटर सुविधा

हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय उप-सचिव एवं अध्यक्ष महोदय, वित्त सलाहकार एवं वरिष्ठ हिंदी अधिकारी महोदय तथा बैठक में उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण को आभार प्रकट करने के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।

Y. J. Singh
13/7/2026